पत्रांक– बाढ़ नि0 रूपां0 प्र0–01–T– 13/2024– 162

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,
जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।
(E-mail-md@brpnn.co.in)

पटना, दिनांक– 12/06/2026

विषयः– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के अधीन मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बूढ़ी गंडक नदी पर पूर्व से निर्मित अखाड़ाघाट पुल के उर्ध्वप्रवाह में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल सहित पहुँच पथ के निर्माण कार्य हेतु द्वितीय चरण अन्तर्गत अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पत्र के क्रम में मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के अधीन मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बूढ़ी गंडक नदी पर पूर्व से निर्मित अखाड़ाघाट पुल के उर्ध्वप्रवाह में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल सहित पहुँच पथ के निर्माण कार्य हेतु **द्वितीय चरण अन्तर्गत अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्न शर्तों के साथ दी जाती हैः–**

शर्तेंः–

1. बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बूढ़ी गंडक नदी पर अखाड़ाघाट पुल के नजदीक प्रस्तावित पुल निर्माण कार्य विशिष्टियों एवं मानकों के अनुरूप कराना सुनिश्चित किया जाय।
2. प्रस्तावित पुल के दोनों छोर के Abutment, Toe एवं River Slope पर Protection Work IRC Code 89–2019 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाय।
3. प्रस्तावित पुल निर्माण के दौरान पुल के संरेखण में पड़नें वाले सीढ़ीघाट के आंशिक भाग को तोड़े जाने के क्रम में उक्त स्थान पर आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य कराते हुए सीढ़ीघाट की उपयोगिता बरकरार रखा जाय।
4. पुल के पास Vertical Clearance अनुमोदित vetted आलेख्य के अनुरूप रखा जाय।
5. पुल निर्माण के दौरान सभी अपेक्षित मानकों का पूर्णतः पालन किया जाय एवं पुल निर्माण कार्य सभी सुरक्षात्मक उपायों के साथ किया जाय।
6. कार्यस्थल के आवश्यक बिन्दुओं पर Danger Post लगाया जाय, जिससे कि आमजनों इत्यादि का इस ओर ध्यान आकृष्ट हो सके।

7. पुल निर्माण के दौरान नदी के धारा/जलप्रवाह को किसी भी परिस्थिति में अवरूद्ध नहीं किया जाय, ताकि जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

8. पुल के निर्माण के पश्चात् मरम्मति एवं संपोषण का कार्य एवं व्यय का वहन कार्यकारी विभाग (बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना) द्वारा किया जायेगा।

9. स्थल निरीक्षण के क्रम में प्रस्तावित संरचना के D/S में नदी में दृष्टिगत Shoal से निःसृत गाद को प्रस्तावित कार्य में नियमानुकूल उपयोग किया जाय।

10. बूढ़ी गंडक नदी के चाट भूमि या नदी के किसी भी भाग से मिट्टी नहीं काटी जाय एवं नदी के बेड लेवल को किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं किया जाय।

11. यह सुनिश्चित करना होगा कि पुल निर्माण के कारण किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही हो तथा अन्य जलीय संरचना क्षतिग्रस्त नहीं हो।

12. नदी के सेवापथ में Continuity हेतु नदी के दोनो तरफ के तटबंध में आवश्यक कार्य यथा Diversion सड़क, Ramp and Extra widening आदि का निर्माण कार्यकारी विभाग (बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना) को स्वयं के व्यय पर कराया जाय।

13. नदी का Morphology अक्षुण्ण रखा जाय। बाढ़ अवधि में पुल निर्माण के पास नदी के Behaviour की सतत् निगरानी एवं आवश्यकतानुसार जल संसाधन विभाग को सूचना देकर बाढ़ संघर्षात्मक/सुरक्षात्मक कार्य कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी एवं देयता कार्यकारी विभाग (बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना) की होगी एवं इस संबंध में जल संसाधन विभाग के अभियंताओं का परामर्श/दिशा निर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा।

14. कार्य समाप्ति के उपरान्त स्थल पर बचे हुये किसी प्रकार के अवशेष निर्माण सामग्री/खुदाई के क्रम में Excavated Materials को पूर्ण रूप से हटाया जाय।

15. पुल निर्माण में किसी प्रकार की दुर्घटना/अनदेखी की पूरी जवाबदेही बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना की होगी।

16. पुल के निर्माण से जल संसाधन विभाग का स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा।

17. कार्य कराने के क्रम में जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन किया जाय।

18. यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र केवल जल संसाधन विभाग की तरफ से है एवं अन्य विभागों से यदि आवश्यक हो तो अनापत्ति प्रमाण–पत्र अलग से प्राप्त करना होगा।

19. कार्य के दौरान नदी/तटबंध पर उत्पन्न किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति की जिम्मेवारी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना की होगी।

20. कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की सूचना जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता को ससमय दिया जाय।

21. किसी भी प्रकार के Dispute की स्थिति में जल संसाधन विभाग का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।

22. Discharge Concentration को Maintain करने हेतु भविष्य में यदि पुल के किसी Vent में Silt Deposition की स्थिति दृष्टिगत होने पर कार्यकारी विभाग को स्वयं के व्यय पर Silt Deposition को हटाना होगा।

23. बिहार सरकार जल संसाधन विभाग का आदेश सह ज्ञापांक–यो०मो०–4 (विविध) 07–372/2020 पार्ट–11–143/पटना दिनांक–06.03.2025 द्वारा बिहार राज्य अंतर्गत तटबंधित नदियों के लिए लागू किए गये **Flood Plain Zoning** के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

24. विभागीय पत्रांक–608, दिनांक–05.08.2024 की कंडिका–7 एवं 8 का अनुपालन अनिवार्य होगा।

25. उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र रद्ध कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/–
(ब्रजेश मोहन),
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

पत्रांक– पत्रांक– बाढ़ नि0 रूपां0 प्र0–01–T– 13/2024– पटना, दिनांक :
प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्स्रण अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र में दिये गये शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

पत्रांक– पत्रांक– बाढ़ नि0 रूपां0 प्र0–01–T– 13/2024– 162 पटना, दिनांक : 12/06/2026
प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/6/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।